प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 236 सन 2018

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर ।
2. दलीप पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. मनीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. रोहताश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री विजय सिह अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 28.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 55 / 136 की कुल 10.6610हैक्‍ भूमि दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र इमीलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम दयाराम पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दलीप पुत्र अमीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र शिशपाल , दलीप पुत्र अमीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र इमीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगीलाल , दीपाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर दयाराम, दलीप के स्थान पर मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र इमीलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 55 / 136 की कुल 10.6610हैक्‍ भूमि दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र इमीलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम दयाराम पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दलीप पुत्र अमीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र शिशपाल , दलीप पुत्र अमीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र इमीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगीलाल , दीपाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 55/136 की कुल 10.6610हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादीगण का नाम मांगीलाल एवं दीपाराम दर्ज है राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय दयाराम, दलीप के स्थान पर दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम दयाराम , दलीप दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम दयाराम , दलीप होना प्रतित होता है।

सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमे आम में वादीगण के नाम के सम्बध में जानकारी लिये जाने पर वादीगण के नाम की तस्दीक की गई है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर ने नाम संशोधन की अभिशषां की है यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज की अभिशाषा सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमे आम की तस्दीक के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्प्रम पंचायत /मजमे आमी की तस्दीक/पेरोकार राज की अभिशषा के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 55/136 की कुल 10.6610हैक में वादी संख्या 1 का नाम मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र ईमीलाल अंकित है के स्थान पर क्रमशः दयाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं दलीप उर्फ दीपाराम पुत्र इमीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट......नीमला....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर ।
2. दलीप पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2 मनीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
3 मुकेश पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
4 रोहताश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 236 सन 2018 निर्णय दिनांक–28.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 55 / 136 की कुल 10.6610हैक में वादी संख्या 1 का नाम मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं वादी संख्या 2 का नाम दीपाराम पुत्र ईमीलाल अंकित है के स्थान पर क्रमशः दयाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र शिशपाल एवं दलीप उर्फ दीपाराम पुत्र इमीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट.......नीमला...